कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांकःनपाश्रीमा/2023–24/ 5582 दिनांकः 22/09/023

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 22.09.2023 को प्रातः 11.00 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार 02 (दो) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। जिसमें निम्नानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यो की उपस्थिति रही :-

1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(हरिनारायण)	(अध्यक्ष)	उपस्थित।
2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(दिलिप सिंह)	(सदस्य सचिव)	उपस्थित।
3. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर	(मो. अजहर जाटू)	(सदस्य)	अनु- उपस्थित।
4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(लोकेश निठारवाल)	(सदस्य)	उपस्थित।
5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(रक्षपाल स्वामी)	(विशेष आमंत्रित सदस्य)	उपस्थित।
6. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(निश्चल बनर्जी)	(विशेष आमंत्रित सदस्य)	उपस्थित।

उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त समिति की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेण्डा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :-

1. **आदिवासी मीणा धर्मशाला जरिये श्री राजाराम मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा द्वारा आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय उपयोग पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णयः-**
अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक आदिवासी मीणा धर्मशाला जरिये श्री राजाराम मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा द्वारा आवेदित आदिवासी मीणा धर्मशाला भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के तहत आवासीय उपयोग हेतु पट्टा आदिवासी मीणा धर्मशाला के हक में निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.02.2023 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आदिवासी मीणा धर्मशाला समाज द्वारा स्वयं के खर्चे पर 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 26.02.2023

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

प्रभारी लेखा शाखा
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

की मौका रिपोर्ट अनुसार आदिवासी मीणा धर्मशाला का भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नही है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान–2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आदिवासी मीणा धर्मशाला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्व हो रहा है, आवेदित भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं. 557 गैरमुमकिन आबादी में दर्ज है, आदिवासी मीणा धर्मशाला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं सीटी सर्वे रिकार्ड अनुसार आदिवासी मीणा धर्मशाला का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व एवं कब्जा भी सिद्व हो रहा है। इस प्रकार आदिवासी मीणा धर्मशाला को आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय उपयोग पट्टा क्षेत्रफल 359.85 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। आदिवासी मीणा धर्मशाला श्रीमाधोपुर के नाम से पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इस धर्मशाला पर समस्त मीणा समाज का अधिकार रहेगा। किसी का व्यक्तिगत अधिकार नही रहेगा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समाज को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा समाज का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में समाज से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ समाज द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण समाज के स्वयं के खर्चे पर हटा लिया जावेगा एवं समाज का सर्वे रिकार्ड से अगर सम्पूर्ण मिलान होता है तो ही नियमानुसार पट्टा जारी किया जाने की सिफारिश की जाती है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा आदिवासी मीणा समाज धर्मशाला द्वारा आवेदित भूखण्ड का भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत पट्टा दिये जाने की अभिशंषा के साथ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. **प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 की तैयारियो एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :–** उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के प्रचार–प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानो पर प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 से सम्बन्धित होर्डिग लगवाते हुए एवं वार्डवाईज टीम गठित कर घर–घर पम्पलेट बटवाये जा रहे है। शहर के मुख्य समाचार पत्रो के माध्यम से 02 अक्टुबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टो, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप–विभाजन, पुर्नगठन, ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं भू–उपयोग परिवर्तन आवेदन के

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

अध्यक्ष
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

प्रभारी लेखा शाखा
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

Scanned with CamScanner

लगभग 1783 पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। जिन पर त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 1639 पट्टे जारी किये जा चुके है तथा शेष प्रकरणो को निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड कमेटी के उपस्थित सदस्यो द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगो से पट्टो के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

15:20 hrs. 22/08/23 (दिलीप सिंह) अधिशाषी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(हरिनारायण) अध्यक्ष अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(मो. अजहर जाटू) उप/जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग सीकर
(निश्चल बनर्जी) लेखा प्रभारी प्रभारी लेखा शाखा नगरपालिका श्रीमाधोपुर नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(लोकेश निठारवाल) कनिष्ठ अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका, श्रीमाधोपुर नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(रक्षपाल स्वामी) विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर

Scanned with CamScanner